राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 886/2015/जयपुर.
2. अपील संख्या – 887/2015/जयपुर.
3. अपील संख्या – 888/2015/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,
जोन–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स टैक्नेक्स्ट, एस–13,
सालासर प्लाजा, इन्द्रा बाजार, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–III, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 19.01.2015 के विरूद्ध विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में आरोपित अंतर कर व ब्याज को यथावत रखा गया था एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया था। राजस्व की ओर से शास्ति अपास्त किये जाने के निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	शास्ति
1.	482	2011–12	20.12.2013	34,902/–
2.	483	2012–13	20.12.2013	1,04,504/–
3.	484	2013–14	20.12.2013	29,768/–

लगातार.....2

2. अपीलों के तथ्य समान होने से प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.2013 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में **कार्ड रीडर** की बिक्री पर 5 प्रतिशत से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जा रहा था। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री की जा रही वस्तुओं को अधिनियम के अनुसूची—V के अनुसार 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर 9 प्रतिशत से अंतर कर व शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2015 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर कर एवं ब्याज की पुष्टि की गई परन्तु शास्ति अपास्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में आलौच्य अवधियों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा "**कार्ड रीडर**" की बिक्री की गई थी जिस पर कर अनुसूची—IV(A) की प्रविष्टि संख्या 3 एवं 28 में सम्मिलित होना मानते हुये 5 प्रतिशत की कर दर से कर वसूल कर जमा करवाया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तु को प्रविष्टि संख्या 3 जो Computer System and Pheripheralas, Computer Printer and Electronics Multifunction device एवं इसके पार्टस से संबंधित प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित नहीं माना क्योंकि कार्ड रीडर न तो कम्प्यूटर सिस्टम से संबंधित है एवं न ही उसका पार्ट माना जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय को उचित मानकर कर व अनुवृति ब्याज को यथावत रखा गया है जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी अपील नहीं की जाना विद्वान अभिभाषक द्वारा बताया गया है। यह प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल की समस्त खरीद बिक्री अपनी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की हुई थी एवं मात्र कर दर का विवाद था। कर दर सम्बन्धी विवाद के मामलों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में यह निर्णय किया जा चुका है कि ऐसे मामलों में शास्ति का आरोपण उचित नहीं है इसी क्रम में अपीलीय अधिकारी द्वारा श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य 2009 23 VST पेज 249 के आलोक में अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुये राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष